(57)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।


ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/


**प्रेषक :**
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1553 दिनांक : 28/2/14

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर** को **सत्र 2010-11** के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.सी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.लिब पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

**शर्ते एवं प्रतिबंध :-**

1. महाविद्यालय जिस भवन में संचालित है उसकी 30 वर्ष की लीज की गई है, लेकिन स्थान कम है अतः महाविद्यालय सोसायटी के नाम भूमि क्रय कर उस पर भवन निर्मित एक साल के भीतर कराये। जब तक स्वयं की भूमि पर भवन तैयार नहीं हो जाता है तब तक किसी भी पाठ्यक्रम में सत्र 2013-14 में प्रवेश न दिये जाये।
2. ग्रन्थालय में 10,000/- रू. की पुस्तकें क्रय करें।
3. प्राचार्य शिक्षकों लाईब्रेरियन एक स्पोर्ट आफीसर की नियुक्ति 28(17) में सत्र शुरू (2012-13) होने के पहले कराये इसके अभाव में भी सत्र 2013-14 में सम्बद्धता प्रदान न की जाये।
4. शिक्षकों को वेतन चैक/बैंक के माध्यम से करें।
5. बी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु लाईसेंस साफ्टवेयर क्रय करें।
6. परिनियम 27-28 का पालन सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

**प्रति,**

1. **प्राचार्य श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**सहायक कुलसचिव (सम्बद्धत**